अति आवश्यक

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास एवं पंचायत विभाग।

प्रेषित

1. समस्त उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।
2. समस्त जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
3. समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य में।

क्रमांक ई०सी०ए०–05–2022/159875 –160075 दिनांकः 7.12.22

विषयः– **पंचायती राज संस्थाओं की नव–निर्वाचित ग्राम पंचायतों की प्रथम मिटिंग का आयोजन करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर पंचायती राज संस्थाओं के छठें आम चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं तथा इनकी अधिसूचना भी राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की जा चुकी हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के नव–निर्वाचित सदस्यों को दिनांक 03.12.2022 को शपथ दिलवाई जा चुकी है।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत/पंचायत समिति तथा जिला परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष का उस दिन से शुरू होगा जिस तिथि को उसकी पहली बैठक निश्चित की गई हो।

अतः आपको लिखा जाता है कि आपके जिले के समस्त खण्डों की सभी नव निर्वाचित ग्राम पंचायतों की, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा हरियाणा पंचायती राज नियम 1995 में दिये गए प्रावधानों के तहत, तीन दिन का नोटिस देते हुए, दिनांक 14.12.2022 को प्रथम मिटिंग बुलाकर, की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक पंचायत (कानूनी)
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास एवं पंचायत विभाग।

क्रमांक ई०सी०ए०–05–2022/160076 दिनांकः 7.12.22

इसकी एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, सैक्टर 17, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप निदेशक पंचायत (कानूनी)
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास एवं पंचायत विभाग।